



Neutral Citation No. - 2026:AHC:53303

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 8638 वर्ष 2026

बलवीर सिंह

.....याची(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याची(गण) के अधिवक्ता : जय प्रकाश सिंह

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याची के विद्वान अधिवक्ता तथा प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।
2. इसमें पारित किए जाने हेतु प्रस्तावित आदेश के दृष्टिगत, निजी प्रत्यर्थी को नोटिस जारी करने तथा इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। तथापि, यदि निजी प्रत्यर्थी आदेश से व्यथित अनुभव करता/करती है, तो आदेश में उपांतरण/फेरबदल की मांग करने का उसका अधिकार सुरक्षित रखा जा रहा है।
3. याची ने वर्तमान याचिका प्रत्यर्थी संख्या 2/तहसीलदार, तहसील किरावली, जिला आगरा को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 34 के अंतर्गत वाद संख्या 5186 वर्ष 2024 जो कम्प्यूटर संख्या टी202401010405186 (दीपक परिहार बनाम महेंद्र सिंह) है, को शीघ्रता से निस्तारित करने हेतु निदेशित करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की है।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. याची के विद्वान अधिवक्ता का यह निवेदन है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) के अंतर्गत दाखिल एक प्रार्थना पत्र लंबे समय से लंबित है। इस प्रक्रम पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) का संज्ञान लेना उचित एवं समीचीन होगा, जो यह आज्ञापक करता है कि ऐसा प्रार्थना पत्र दाखिल किए जाने पर, संबंधित प्राधिकारी को कड़ाई से विधि के अनुसार समयबद्ध अवधि के भीतर उसका निस्तारण करना आवश्यक होगा। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 का नियम 34 का उप-नियम (7),

"(7). तहसीलदार नामांतरण के निर्विवादित वाद को वाद के पंजीकरण की तिथि से 45 दिनों की अवधि के भीतर तथा नामांतरण के विवादित वाद को 90 दिनों की अवधि के भीतर निर्णीत करने का प्रयास करेगा और यदि कार्यवाही ऐसी अवधि के भीतर पूर्ण नहीं होती है, तो उसके लिए कारण लेखबद्ध किए जाएंगे।"

5. उक्त उपबंध के आलोक में तथा पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए निवेदनों के प्रकाश में, प्रत्यर्थी संख्या 2/तहसीलदार, तहसील किरावली, जिला आगरा को यह निदेश जारी किया जा रहा है कि वे उक्त प्रार्थना पत्र को ग्रहण करें तथा इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से अधिमानतः तीन माह की अवधि के भीतर, अत्यंत शीघ्रता से तथा कड़ाई से विधि के अनुसार उसके स्वयं के गुणागुण पर उसका निस्तारण करें, किंतु अनावश्यक स्थगन प्रदान किए बिना, जब तक कि कोई विधिक बाधा विद्यमान न हो।
6. पूर्वोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका निस्तारित की जाती है।
7. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने विरोधी निवेदनों के गुणागुण पर कोई मत व्यक्त नहीं किया है।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

मार्च 16, 2026

सकलैन

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।